ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

भूखण्ड संख्या–1, नॉलेज पार्क–4 ग्रेटर नोएडा सिटी,
जिला गौतम बुद्व नगर (उ0प्र0)

पत्रांकः–ग्रे0नो0 / आई.टी / 2020 / 17640
दिनांकः– 28 / 02 / 2020

कार्यालय–आदेश

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक, दिनांक 10.02.2020 के अनुपूरक मद संख्या–117 / 7 में मा0 संचालक मण्डल द्वारा बी0पी0ओ0 / कॉल सेन्टर योजनान्तर्गत आवंटनों में निरस्तीकरण उपरान्त आवंटी द्वारा जमा धनराशि में से निम्नानुसार कटौती करते हुए रिफण्ड किये जाने हेतु नियम / शर्त प्राविधानित किये गये हैः–

Cancellation

In addition to the other specific clauses relating to cancellation the Authority/Lessor as the case may be shall be free to exercise its rights of cancellation of lease/allotment in the case of;

1. Allotment being obtained through misrepresentations / suppression of material facts.
2. Any violation of directions issued or rules and regulations framed by the Pollution Control Board or by any other statutory body.
3. Default on the part of the applicant allottee/ lessee for breach/violation of terms and conditions of registeration/allotment/lease and / or non-deposit of reservation money.

In the event of cancellation, under sub-clause (1) above, the entire deposits till the date of cancellation shall be forfieted and possession of the plot will be resumed by the Authority / lessor with structure thereon, if any, and the allottee/ lessee will have no right to claim compensation thereof.

In the event of cancellation, under sub-clause (2) & (3) above, 20% of the total premium or the amount deposited upto the date of cancellation, whichever is the least, shall be forfieted and balance, if any, shall be refunded without any interest.

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अतिरिक्त यदि आवंटी को आवंटित भूखण्ड का पट्टा प्रलेख निष्पादित कराये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा चैकलिस्ट जारी की जा चुकी है अथवा यदि आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड का पट्टा प्रलेख निष्पादित कराया जा चुका है तो निम्न प्राविधानों के अनुसार भी आवंटी द्वारा जमा धनराशि में से कटौती किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1. If the Check list is issued for the purpose of Registration, but the Allottee has not Registered the plot before cancellation, Late Lease Penalty shall be deducted till the date of Cancellation of Plot.

2. If the Allottee has Registered the plot before the cancellation is entertained, Lease Rent defaulted amount shall be deducted till the date of Cancellation of Plot.

उपरोक्त वर्णित आई.टी./आई.टी.ई.एस. योजनान्तर्गत आवंटित भूखण्डों के योजना ब्रोशर के प्राविधानों अनुसार एवं यदि आवंटी को आवंटित भूखण्ड की चैकलिस्ट जारी की जा चुकी है किन्तु आवंटी द्वारा भूखण्ड का पट्टा प्रलेख निष्पादित नही कराया गया तो भूखण्ड निरस्तीकरण अनुमोदन की तिथि तक देय पट्टा प्रलेख विलम्ब शुल्क की कटौती किये जाने एवं यदि आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड का पट्टा प्रलेख निष्पादित कराया जा चुका है, किन्तु भूखण्ड के विरुद्व देय लीज रेन्ट के मद में डिफाल्टेड धनराशि को प्राधिकरण के पक्ष में जमा नही कराया गया तो भूखण्ड निरस्तीकरण अनुमोदन की तिथि तक लीज रेन्ट की कटौती करते हुए पूर्वाप्रेक्षी प्रभाव से बी.पी.ओ/कॉल सेन्टर योजनान्तर्गत आवंटित भूखण्डों के आवंटन निरस्तीकरण उपरान्त कुल प्रीमियम का 20 प्रतिशत धनराशि कटौती करते हुए रिफण्ड किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावीं होंगें।

(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (वित्त/परियोजना/आई0टी0) को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी (नियोजन) ग्रेटर नोएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के आशय से प्रेषित।

27/02/2020

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी